देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर के थोक विक्रय के अनुज्ञापन हेतु आवेदन–पत्र

आवेदित जनपद–..

अनुज्ञापन का प्रकार–

(सी0एल0–2/एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी/एफ0एल0–2डी)

फोटो

1– आवेदक का नाम (व्यक्तिगत) ....

2– पिता/पति का नाम–..

3– आयु..

4– लिंग– पुरूष/महिला

5– आधार नम्बर–..

6– पैन नम्बर–..

7– मोबाइल नम्बर–..

8– ई–मेल आई0डी0–..

9– आवेदक का वर्तमान पता–

मकान नम्बर–

मोहल्ला/ग्राम–

थाना–

तहसील–

जनपद–

राज्य–

1– सह आवेदक का नाम (यदि भागीदार हो)..............................

फोटो

2– पिता/पति का नाम–..

3– आयु..

4– लिंग– पुरूष/महिला

5– आधार नम्बर–..

6– पैन नम्बर–..

7– मोबाइल नम्बर–..

8– ई–मेल आई0डी0–..

9– सह आवेदक का वर्तमान पता–..

मकान नम्बर–

मोहल्ला/ग्राम–

थाना–

तहसील–

जनपद–

राज्य–

10– अनुज्ञापन शुल्क के लिये संलग्न बैंक ड्राफ्ट का नम्बर————————दिनांक——————
धनराशि ——————————बैंक का नाम/शाखा——————————————

11– प्रतिभूति की धनराशि का विवरण, बैंक ड्राफ्ट नं0——————————दिनांक——————
धनराशि——————————————बैंक का नाम/शाखा——————————————

Scanned by CamScanner

12– हैसियत प्रमाण–पत्र का विवरण–
हैसियत का मूल्य–
जनपद जहाँ से निर्गत–

13– गत वर्ष की आयकर विवरणी– संलग्न है/संलग्न नहीं है।
14– आवेदक के पास थोक दुकान के लिए उपलब्ध परिसर का विवरण–

परिसर की स्थिति–

ग्राम/मोहल्ला – थाना– तहसील– जनपद–

चौहद्दी पूर्व– पश्चिम्–
उत्तर– दक्षिण–

परिसर का क्षेत्रफल–

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतया सही है। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी/हमारी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

संलग्नकः–1. आवेदक का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
2. बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में।
3. प्रोसेसिंग शुल्क का चालान।
4. आई0टी0आर0 व पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. हैसियत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

आवेदक के हस्ताक्षर (सतिथि)

सह–आवेदक के हस्ताक्षर (सतिथि)

Scanned by CamScanner

पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ–पत्र

(एक) यह कि शपथकर्ता ....पुत्र/पुत्री/पति..................आयु................निवासी ....है। उसने जनपद............... के लिये देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर के थोक अनुज्ञापन (सी0एल0–2/एफ0एल0–2 /एफ0एल0–2बी/ एफ0एल0–2डी) हेतु आवेदन किया है।

(दो) यह कि वह समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आवकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(तीन) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(चार) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(पॉच) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(छः) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड–तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो।

(सात) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

(आठ) यह कि आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान अथवा माडल शाप का अनुज्ञापी नहीं है।

(नौ) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(दस) यह है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

(ग्यारह) यह कि आवेदक बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

(बारह) यह कि मैंने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं सम्बन्धित नियमो एवं आदेशों को भली–भॉति समझ लिया है। मैं आबकारी विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करूँगा।

(तेरह) उपरोक्त एक से बारह तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं, यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक..

स्थान ....

(पब्लिक नोटरी का नाम एवं मुहर) शपथ कर्ता

Scanned by CamScanner